

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150375

पटना, दिनांक 31/05/2013

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(महा0गृ0स्थ0)-102-15/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वास स्थल विहीन महादलित परिवारों को वास स्थल हेतु भूमि एवं इंदिरा आवास से आच्छादन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के पात्र परिवारों को इंदिरा आवास से आच्छादन के लिए विभागीय पत्र संख्या-112798 दिनांक-05.07.12 एवं 129784 दिनांक-23.11.12 द्वारा निर्देश दिया गया था कि छूटे हुए परिवारों को चिन्हित कर बी.पी.एल. सूची में शामिल करते हुए इंदिरा आवास आवंटित किया जाय । इसी प्रकार वैसे महादलित परिवार जिन्हें इंदिरा आवास योजनान्तर्गत घर बनाने की स्वीकृति का क्रम आ चुका है किन्तु वास भूमि के अभाव में घर आवंटित नहीं हो रहा है उन्हें अभियान चलाकर सरकार की योजना के अंतर्गत वास भूमि उपलब्ध कराते हुए इंदिरा आवास आवंटित करने का निदेश विभागीय पत्रांक-145567 दिनांक-12.04.13 द्वारा दिये गये । किन्तु अबतक इस संबंध में किसी भी जिला से कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है जबकि इस संबंध में विकास आयुक्त द्वारा 22.04.13 को जिला पदाधिकारी के साथ Video Conferencing के माध्यम से समीक्षा की गई थी तथा पुनः इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का निदेश दिया गया था ।

इस संबंध में पुनः उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय भ्रमण एवं माननीय मुख्य मंत्री की सेवा यात्रा के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को वास स्थल हेतु भूमि एवं इंदिरा आवास आवंटन नहीं होने की काफी मामले संज्ञान में आ रहे हैं । खासकर महादलित परिवारों को इंदिरा आवास आवंटन नहीं होने से उनके आवास की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है । विदित है कि कतिपय जिलों में इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्य के अनुरूप आच्छादन नहीं हो पा रहा है ।

उपर्युक्त परिस्थिति को देखते हुए सम्प्रति महादलित परिवारों को इंदिरा आवास से पूर्णतः आच्छादित करने के उद्देश्य से निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया जाता है :-

- 1) जिलान्तर्गत महादलित परिवारों को सरकार द्वारा वास भूमि उपलब्ध कराने की योजना के तहत उपलब्ध कराये गये वास भूमि से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर अंचल पदाधिकारी से सूची तैयार करायी जाय :-

| ग्राम पंचायत का नाम | गांव का नाम | लाभार्थी का नाम | पिता/पति का नाम | परिवार के मुखिया से संबंध | आवंटित किये गये वास भूमि का खाता सं० | आवंटित किये गये वास भूमि का प्लॉट नं० | आवंटित किये गये वास भूमि का रकबा | भूमि का प्रकार | भूमि आवंटन के समय घर की स्थिति | अभ्युक्ति |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|
| 1                   | 2           | 3               | 4               | 5                         | 6                                    | 7                                     | 8                                | 9              | 10                             | 11        |

MP

2. अंचल पदाधिकारी द्वारा सूची तैयार करने के पश्चात सूची को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । अंचल पदाधिकारी द्वारा दी गयी सूची में कुछ ऐसे लाभुकों के नाम हो सकते हैं जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में हो, साथ ही साथ इस सूची में कुछ ऐसे लाभुक भी हो सकते हैं जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में दर्ज नहीं हो । अतएव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रखण्ड के अभिलेखों से जाँच कर निम्न बिन्दुओं पर सूचना उस सूची में शामिल की जायेगी ।

- क) लाभार्थी क्या बी.पी.एल. सूची में है ?
- ख) लाभार्थी का बी.पी.एल. संख्या -
- ग) बी.पी.एल. सूची में प्राप्तांक -
- घ) इंदिरा आवास स्वीकृति का वर्ष -
- ङ) स्वीकृत राशि -

3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त प्रतिवेदन तैयार करने के पश्चात वैसे महादलित परिवार जिनका क्रम इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची में पूर्व में ही आ चुका है और वास भूमि उपलब्ध नहीं रहने के कारण इंदिरा आवास आवंटित नहीं किया जा सका उन्हें सर्वप्रथम इंदिरा आवास आवंटित किया जायेगा । वैसे महादलित परिवार जिन्हें वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा उनका नाम बी.पी.एल. सूची में भी शामिल है, को इंदिरा आवास का आवंटन निर्धारित प्राथमिकता एवं प्रक्रियानुसार किया जायेगा ।


4. वैसे महादलित परिवार जिन्हें वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है किन्तु उनका नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल नहीं होने के कारण इंदिरा आवास आवंटित नहीं किया गया है, उनका नाम बी.पी.एल. सेन्सस 2002 के लिए निर्धारित 13 x 4 के मापदण्डों के आधार पर सर्वेक्षण कराकर, योग्य परिवारों को बी.पी.एल. सूची में शामिल करने की कार्यवाई करेंगे तथा इसकी एक पूरक बी.पी.एल. सूची बनायेंगे । पूरक बी.पी.एल. सूची के आधार पर इंदिरा आवास की पूरक प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी तथा ग्राम सभा से अनुमोदनोपरान्त प्राप्तांक के आरोही क्रम में इंदिरा आवास आवंटित किया जायेगा । इस सूची को "महादलित पूरक प्रतीक्षा सूची 2013" के रूप में संदर्भ किया जायेगा ।

5. चूँकि "पूरक महादलित प्रतीक्षा सूची 2013" में नये परिवारों का नाम शामिल किया जायेगा, अतएव पूर्व की प्रतीक्षा सूची एवं पूरक महादलित प्रतीक्षा सूची का एक साथ अवलोकन कर प्राप्तांक के आरोही क्रम में इंदिरा आवास का आवंटन किया जायेगा । इंदिरा आवास आवंटन के समय पंचायत के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में सर्वप्रथम पूरक महादलित प्रतीक्षा सूची 2013 के वैसे परिवारों को इंदिरा आवास आवंटन किया जायेगा जिनके समान या कम प्राप्तांक वाले परिवारों को पूर्व की सूची से चयनित कर आवास आवंटित किया जा चुका है । उदाहरण के लिए यदि किसी पंचायत में पूर्व की प्रतीक्षा सूची के 10 प्राप्तांक तक वाले परिवारों को इंदिरा आवास आवंटित किया जा चुका है तो पूरक महादलित प्रतीक्षा सूची 2013 के 10 प्राप्तांक तक वाले महादलित परिवारों को सर्वप्रथम इंदिरा आवास आवंटित किया जायेगा । यदि किसी महादलित परिवार का पूरक महादलित प्रतीक्षा सूची 2013 में प्राप्तांक 12 है तो उस परिवार को आवास का आवंटन हेतु तबतक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जबतक कि उसका क्रम आवास आवंटन के लिए नहीं आ जाता है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्रवाई शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराकर जिन महादलित परिवारों को वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध हो गया है उनको कंडिका-3 के आलोक में दिनांक 31.07.2013 के पूर्व इंदिरा आवास आवंटित करते हुए निम्न प्रपत्र में प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय तथा पंचायत एवं प्रखण्डवार लाभान्वित कराये गये परिवारों की पुस्तिका की प्रति विकास आयुक्त, बिहार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाय :-

| क्र० सं० | प्रखण्ड का नाम | अद्यतन सर्वेक्षण के आधार पर कुल वास भूमि रहित परिवारों की सं० | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिन्हें वास स्थल भूमि उपलब्ध कराने की योजना के तहत भूमि उपलब्ध कराया गया है | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिन्हें वास स्थल भूमि उपलब्ध होने पर इंदिरा आवास आवंटित किये गये हैं                                |   |           | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिन्हें वास स्थल की भूमि उपलब्ध करा दी गयी है किन्तु प्रतीक्षा सूची में क्रम नहीं आने के कारण आवास नहीं उपलब्ध कराया जा सका है (4-7) | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिन्हें आवास स्वीकृत है परन्तु वास स्थल हेतु भूमि उपलब्ध कराया जाना बाकी है (3-4) |
|----------|----------------|---|--|--|---|-----------|---|--|
|          |                |   |  | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिनका नाम बी.पी.एल. सूची में पूर्व से था किन्तु वास स्थल उपलब्ध होने पर इंदिरा आवास आवंटित किये गये | वैसे महादलित परिवारों की सं० जिन्हें वास स्थल भूमि उपलब्ध होने पर बी.पी.एल. सूची/ इंदिरा आवास की पूरक प्रतीक्षा सूची में शामिल कर इंदिरा आवास आवंटित किये गये हैं | कुल (5+6) |   |  |
| 1        | 2              | 3   | 4  | 5  | 6   | 7         | 8   | 9  |
|          |                |   |  |  |   |           |   |  |

विश्वासभाजन

  
 (अमृत लाल मिश्रा)  
 सरकार के सचिव

जापांक 150375


पटना, दिनांक 31/05/2013

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि अपने स्तर से भी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश देने की कृपा करेंगे ।

प्रतिलिपि- विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
 सरकार के सचिव